

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 419]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 सितम्बर 2014—भाद्र 19, शक 1936

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2014

क्र. एफ-1-62-2012-स्था-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश शासन में संविदा आधार पर संविदा सेवाओं में भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग संविदा सेवा नियम, 2014 है.
(2) ये नियम, मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
2. **परिभाषा.**—इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) “संविदा सेवा” से अभिप्रेत है इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट सेवा;
 - (ख) “विभाग” से अभिप्रेत है, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश;
 - (ग) “सरकार” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
 - (घ) “विभागाध्यक्ष” से अभिप्रेत है, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल;
 - (ङ) “अनुसूची” से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
 - (च) “चयन प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश;
 - (छ) “संविदा पर कार्यरत चयनित व्यक्ति” से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन संविदा आधार पर कार्यरत व्यक्ति;
 - (ज) “राज्य” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—ये नियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लोक निर्माण विभाग में संविदा आधार पर चयनित एवं कार्यरत व्यक्तियों पर लागू होंगे.

4. **मासिक पारिश्रमिक एवं भत्ते.**—(1) संविदा आधार पर चयनित एवं कार्यरत व्यक्तियों को इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा.

(2) संविदा आधार पर कार्य कर रहे चयनित एवं कार्यरत व्यक्ति निम्नलिखित रीति में मध्यप्रदेश शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ते के हकदार होंगे.

(क) वरिष्ठ परामर्शी वास्तुविद, वरिष्ठ स्ट्रक्चरल इंजीनियर एवं वरिष्ठ क्वांटिटी सर्वेयर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्रों को अनुज्ञेय यात्रा भत्ते के हकदार होंगे.

(ख) परामर्शी वास्तुविद, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर, प्रोग्रामर/सूचना एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, लोक निर्माण विभाग के सहायक यंत्रों को अनुज्ञेय यात्रा भत्ते के हकदार होंगे.

(ग) तकनीकी सहायक एवं कम्प्यूटर आपरेटर, लोक निर्माण विभाग के सहायक ग्रेड तीन को अनुज्ञेय यात्रा भत्ते के हकदार होंगे.

(3) संविदा पर चयनित एवं कार्यरत किसी व्यक्ति को उतने दिनों के लिए पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा, जिनमें वह अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहा हो.

(4) संविदा अनुबंध किया जाएगा जो कि विभागाध्यक्ष तथा संविदा पर चयनित व्यक्ति द्वारा सम्यकरूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा और उसे शासकीय अभिलेख में रखा जाएगा.

5. चयन की रीति—

(1) **पद.**—पदों की संख्या उतनी होगी जितनी कि इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई है.

(2) **चयन.**—अनुसूची में विनिर्दिष्ट सरल क्रमांक-1 से 7 पर विनिर्दिष्ट पदों पर चयन, विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची में से किया जाएगा तथा अनुसूची में विनिर्दिष्ट सरल क्रमांक-8 पर विनिर्दिष्ट पद की पूर्ति बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से की जायेगी.

(3) **आयु सीमा.**—संविदा चयन के लिए अधिकतम और न्यूनतम आयु की गणना उस वर्ष की जनवरी माह के प्रथम दिन के आधार पर की जाएगी जिसमें कि संविदा के लिए चयन किया जाना है.

(4) **सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों का चयन.**—सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी भी सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार 63 वर्ष की आयु तक संविदा आधार पर चयन के पात्र हो सकेंगे.

(5) **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता और पात्रता.**—व्यक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं पात्रता ऐसी होगी जैसी कि इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है.

(6) **आरक्षण.**—शासन द्वारा जारी समय-समय पर लागू आरक्षण के प्रावधान इन सेवाओं में चयन हेतु लागू होंगे.

(7) **विज्ञापन.**—रिक्त पदों को कम से कम दो राज्य और दो राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाएगा और उसे विभाग के वेबसाईट पर भी उपलब्ध किया जाएगा.

6. **संविदा सेवा की कालावधि.**—संविदा पर व्यक्ति का चयन प्राथमिक रूप से दो वर्षों के लिए वैध होगा, जिसे उसके कार्य करने और कार्य की अत्यावश्यकताओं के आधार पर एक वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा. संविदा सेवा की वृद्धि की स्थिति में संविदा पर कार्यरत व्यक्ति का संविदा पारिश्रमिक अधिकतम दस प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा.

7. **संविदा कालावधि के दौरान अनुशासन और नियंत्रण.**—

(1) चयनित व्यक्ति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपना आचरण अच्छा रखेगा .

(2) संविदा पर कार्यरत व्यक्ति को उसकी कार्यवधि के दौरान शासन को हुई किसी भी हानि या उनके ऊपर अधिरोपित किसी लघु शास्ति के लिए उसके संविदा पारिश्रमिक से वसूली के लिए पालन प्रत्याभूति/बंध पत्र प्रस्तुत करना होगा.

8. **आपराधिक क्रियाकलापों में ग्रस्त या अवचार के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई.**—यदि कोई चयनित व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त पाया जाता है या नियम 7 के अधीन कोई अवचार करता है तो उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, किसी भी समय उसका चयन निरस्त किया जा सकेगा.

9. **नियंत्रण प्राधिकारी.**—संविदा पर चयनित एवं कार्यरत व्यक्ति, प्रमुख अभियंता या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा.

10. **अन्य शर्तें.**—

(1) चयनित व्यक्ति विहित प्ररूप में 100/- रुपये मूल्य के नॉन-ज्यूडीशियल स्टॉप पेपर पर एक करार निष्पादित करेगा. वह अपने कर्तव्यों का प्रभार लेने की तारीख से अपने कार्य के स्थान पर अपनी संविदा सेवा प्रारंभ करेगा.

(2) चयनित व्यक्ति को, जिन्हें चयन आदेश जारी किया गया है, अपनी पदस्थापना के स्थान पर चयन आदेश जारी होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर अपने कर्तव्यों का प्रभार लेना आवश्यक होगा. यदि व्यक्ति द्वारा उक्त कथित कालावधि के भीतर प्रभार नहीं लिया जाता है तो संविदा चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा. संविदा पर चयनित व्यक्ति द्वारा प्रभार ग्रहण करने की सूचना प्रमुख अभियंता को दी जाएगी.

(3) संविदा पर रखे गये व्यक्ति को एक केलेण्डर वर्ष में अधिकतम 20 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी. इसके अतिरिक्त शासन द्वारा घोषित किए गए सार्वजनिक अवकाश (पब्लिक हॉलिडे) की भी पात्रता होगी.

(4) यदि कोई व्यक्ति जो संविदा आधार पर चयनित एवं कार्यरत हो, अपने कर्तव्य से बिना किसी पूर्व अनुमति के पन्द्रह दिन से अधिक की कालावधि तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी संविदा सेवा, कार्यालय में उसकी अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हो गई समझी जाएगी.

(5) संविदा पर रखा गया व्यक्ति, अपनी संविदा सेवा की कालावधि के लिए पेंशन संबंधी किन्हीं फायदों का हकदार नहीं होगा. उसे ऐसी कालावधि के लिए किसी भांति के बोनस का भुगतान भी नहीं किया जावेगा.

(6) संविदा पर रखा गया व्यक्ति, शासकीय सेवा में नियमितीकरण का हकदार नहीं होगा.

(7) संविदा पर चयनित किसी व्यक्ति का चयन किसी भी पक्षकार द्वारा एक माह की सूचना देकर या उसके बदले में एक माह का पारिश्रमिक देकर किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा.

(8) अन्य समस्त शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि चयन आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं.

11. **निर्वाचन.**—यदि इन नियमों के किन्ही उपबंधों के निर्वाचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा.

अनुसूची

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग में संविदा आधार पर भरे जाने वाले पदों का विवरण

| स.क्र. | पदनाम | मासिक संविदा पारिश्रमिक (रूपयों में) | पदों की संख्या | न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं पात्रता | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु | चयन का तारीका |
|--------|--------------------------------------|--|----------------|--|-------------|------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | वरिष्ठ परामर्शी वास्तुविद. | वित्त विभाग के परामर्श से स्वीकृति अनुसार. | 2 | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक की उपाधि एवं वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अधीन वैध पंजीयन के साथ ही वास्तुविद के रूप में 6 वर्ष का अनुभव एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर पर टू तथा श्री डायमेशनल डिजाईन एवं ड्राईंग बनाने की योग्यता. | 30 | 60 | विभाग द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से. |
| 2 | परामर्शी वास्तुविद. | वित्त विभाग के परामर्श से स्वीकृति अनुसार. | 6 | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक की उपाधि एवं वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अधीन वैध पंजीयन के साथ ही वास्तुविद के रूप में 2 वर्ष का अनुभव एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर पर टू तथा श्री डायमेशनल डिजाईन एवं ड्राईंग बनाने की योग्यता. | 25 | 60 | -तदैव- |
| 3 | वरिष्ठ स्ट्रक्चरल इंजीनियर. | वित्त विभाग के परामर्श से स्वीकृति अनुसार. | 2 | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.ई./एम.टेक (स्ट्रक्चर) एवं कम्प्यूटर पर स्टेड प्रो ऑटोकेड आदि में स्ट्रक्चरल डिजाईन बनाने का 6 वर्ष का अनुभव. | 30 | 60 | -तदैव- |
| 4 | स्ट्रक्चरल इंजीनियर. | वित्त विभाग के परामर्श से स्वीकृति अनुसार. | 4 | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.ई./एम.टेक (स्ट्रक्चर) एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर में स्टेड प्रो ऑटोकेड आदि में स्ट्रक्चरल डिजाईन बनाने का 2 वर्ष का अनुभव. | 25 | 60 | -तदैव- |
| 5 | वरिष्ठ क्वांटिटी सर्वेयर | वित्त विभाग के परामर्श से स्वीकृति अनुसार. | 2 | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई. (सिविल)/समकक्ष परीक्षा एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर पर क्वांटिटी सर्वे एवं प्राक्कलन बनाने का 4 वर्ष का अनुभव. | 30 | 50 | -तदैव- |
| 6 | क्वांटिटी सर्वेयर | वित्त विभाग के परामर्श से स्वीकृति अनुसार. | 4 | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई. (सिविल)/समकक्ष परीक्षा एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर पर क्वांटिटी सर्वे एवं प्राक्कलन तैयार करने का 2 वर्ष का अनुभव. | 25 | 40 | -तदैव- |
| 7 | प्रोग्रामर | वित्त विभाग के परामर्श से स्वीकृति अनुसार. | 1 | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.सी.ए./कम्प्यूटर साईंस/आई.टी. में बी.ई. तथा कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का 3 वर्ष का अनुभव. | 25 | 40 | -तदैव- |
| 8 | टेक्नीकल असिस्टेंट/कम्प्यूटर ऑपरेटर. | वित्त विभाग के परामर्श से स्वीकृति अनुसार. | 76 | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.सी.ए. की उपाधि एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित कार्य का 3 वर्ष का अनुभव. | 25 | 40 | बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से. |

टिप्पणी.—(1) इस अनुसूची के कॉलम (2) के अनुक्रमांक 1 से 5 तक में यथाविनिर्दिष्ट राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भी उनके सेवा में कार्य संपादन तथा उपयुक्तता के आधार पर 63 वर्ष की आयु तक संविदा आधार पर चयन हेतु विचार में लिया जा सकेगा. तथापि उनकी सेवाएं 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर स्वतः समाप्त हो जाएंगी.

(2) संविदा सेवा के आधार पर चयनित सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों का नियत संविदा पारिश्रमिक निर्धारित करने के प्रयोजन के लिये आवेदित पद के विरुद्ध अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट संविदा पारिश्रमिक में से उनकी पेंशन घटा दी जाएगी. इस संविदा रकम पर किसी प्रकार का महंगाई भत्ता या अन्य भत्ते देय नहीं होंगे. पेंशन प्राप्त करने तथा पेंशन पर देय राहत की पात्रता पृथक से अनुज्ञेय होगी.

(रुपये 100 के स्टैम्प पेपर पर)

संविदा करार

(लोक निर्माण विभाग में संविदा पारिश्रमिक पर रखने के लिए)

| | |
|-----------------|---|
| प्रथम पक्षकार | प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश चयन प्राधिकारी होंगे (जो इसमें इसके पश्चात् इस संविदा विलेख में प्रथम पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट है). |
| द्वितीय पक्षकार | श्री/श्रीमती/कुमारी |
| (चयनित व्यक्ति) | पुत्र/पत्नी/पुत्री |
| | आयु वर्ष |
| | निवासी |
| | |

(जो इसमें इसके पश्चात् इस संविदा विलेख में द्वितीय पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट है)

उपरोक्त पक्षकार निम्नलिखित निबन्धनों तथा शर्तों पर सहमत हैं :—

1. यह कि लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश में स्वीकृत संविदा पद पर द्वितीय पक्षकार का चयन नियत पारिश्रमिक पर किया जा रहा है जो कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से केवल दो वर्ष का कालावधि के लिये वैध होगा. चयन दिनांक से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी. कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संविदा अवधि पूर्ण होने पर द्वितीय पक्षकार शासकीय सेवा में नियमितीकरण का दावा नहीं करेगा. ऐसी स्थिति में इस करार संबंधी द्वितीय पक्षकार का किसी भी प्रकार का विवाद या दावा स्वीकार्य / मान्य नहीं किया जावेगा.
2. यह कि द्वितीय पक्षकार को शासकीय सेवक नहीं समझा जाएगा.
3. यह कि द्वितीय पक्षकार महंगाई भत्ता / आवास भत्ता और कोई अन्य भत्ते प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा.
4. यह कि द्वितीय पक्षकार एक कैलेण्डर वर्ष में सिर्फ 20 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं सार्वजनिक अवकाश दिनों के अलावा किसी भी प्रकार के अवकाश का हकदार नहीं होगा.
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत शासकीय कार्य हेतु यात्रा भत्ता देय होगा. उक्त भत्ते के अतिरिक्त मध्यप्रदेश सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के समान किसी प्रकार का लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा न ही कोई अन्य भत्ते देय होंगे जिसकी कि सहमति द्वितीय पक्षकार द्वारा करार में अपने हस्ताक्षर से दी गई है.

6. यह कि द्वितीय पक्षकार के विरुद्ध गंभीर शिकायत मिलने अथवा अभ्यर्थी द्वारा अवांछनीय या राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त होने अथवा कार्य के प्रति गंभीर अनियमितता पाये जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार को होगा. अतः उपरोक्त किसी भी प्रकार का आरोप सिद्ध होने पर द्वितीय पक्षकार की सेवाएं बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार के पास होगा जिसका द्वितीय पक्षकार कोई दावा नहीं करेगा.
7. यह कि संविदा सेवा के दौरान द्वितीय पक्षकार किसी को गंभीर क्षति कारित करता है अथवा स्वयं को कोई गंभीर क्षति कारित करता है अथवा कोई अन्य शारीरिक विकलांगता से ग्रसित होता है अथवा आत्महत्या करता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्षकार अथवा उसके स्थान पर उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा. सेवा शर्तों के प्रतिकूल किसी अन्य स्थिति में अभ्यर्थी के परिवार के किसी भी सदस्य को अनुकम्पा आधार पर संविदा सेवा में चयन नहीं किया जायेगा, जिसके लिये द्वितीय पक्षकार का कोई दावा नहीं होगा.
8. यह कि यदि द्वितीय पक्षकार उक्त दो वर्षों की सेवा का अवसान होने के पूर्व अपनी सेवा त्यागना चाहता है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्षकार को चयन प्राधिकारी को एक माह की पूर्व सूचना देनी होगी, अन्यथा ऐसी स्थिति में उसे एक माह का संविदा पारिश्रमिक एकमुश्त जमा कर पावती प्राप्त करनी होगी एवं प्रथम पक्षकार से अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा.
9. यह कि द्वितीय पक्षकार की सेवाएं, संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा अन्य कारण जिनके द्वारा वह अपने आपको सेवा के लिये अयोग्य बना लेता है, बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी, जिसके संबंध में द्वितीय पक्षकार कोई दावा नहीं कर सकेगा.
10. यह कि द्वितीय पक्षकार को उसकी कार्यावधि के दौरान प्रथम पक्षकार को हुई किसी भी हानि के लिये उसके संविदा पारिश्रमिक से वसूली के लिए पालन प्रत्याभूति / वचन-पत्र निष्पादित करना होगा.
11. यह कि इस संविदा सेवा करार में यदि कोई तथ्य रह जाता है या प्रथम पक्षकार द्वारा मध्यप्रदेश शासन के किसी संशोधित अथवा परिवर्तित नियमों के कारण सेवा करार में जोड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में एक अनुपूरक करार निष्पादित किया जाएगा जो द्वितीय पक्षकार को स्वीकार्य होगा एवं जिस पर हस्ताक्षर करने हेतु द्वितीय पक्षकार बाध्य होगा.

मैंने ऊपर वर्णित करार की सेवा शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है. अतः मेरे द्वारा इस करार को दिनांक / /
दिन वर्ष को बिना किसी डर या दबाव के दो साक्षियों के समक्ष निष्पादित कर दिया है
जिससे जब भी आवश्यक हो निर्दिष्ट किया जा सके.

हस्ताक्षर साक्षी :

1. हस्ताक्षर हस्ताक्षर
नाम प्रथम पक्षकार
पता
.
2. हस्ताक्षर हस्ताक्षर
नाम द्वितीय पक्षकार
पता
.

No. F-1-62-2012-E-XIX.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to recruitment in contract services on contract basis in Public Works Department, Government of Madhya Pradesh namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Public Works Department Contract Service Rules, 2014.

(2) These Rules shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definition.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Contract Service" means the service as specified in these rules;
- (b) "Department" means Public Works Department, Madhya Pradesh;
- (c) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (d) "Head of the Department" means Engineer-in-Chief, Public Works Department, Madhya Pradesh, Bhopal;
- (e) "Schedule" means schedule appended to these rules;
- (f) "Selection Authority" means The Engineer-in-Chief, Public Works Department, Madhya Pradesh;
- (g) "Selected person working on contract" means a person working on contract basis under these rules;
- (h) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. **Scope and Applicability.**—These Rules shall be applicable to the selected person working on contract basis under these rules in Public Works Department, Madhya Pradesh.

4. **Monthly Remuneration and Allowances.**—(1) Monthly contract remuneration shall be paid to the selected person working on contract as specified in the Schedule attached to these rules.

(2) Selected person working on contract basis shall be entitled for travelling allowances, as per travelling allowance rules applicable to the officers/employees of Government of Madhya Pradesh in the following manner :—

- (a) Senior Consulting Architect, Senior Structural Engineer and Senior Quantity Surveyor shall be entitled for the same travelling allowances as permissible to that of an Executive Engineer, in Public Works Department.
- (b) Consulting Architect, Structural Engineer, Quantity Surveyor, Programmer / Information Technology Expert shall be entitled for the same travelling allowances as permissible to that of an Assistant Engineer in Public Works Department.
- (c) Technical Assistant and Computer Operator shall be entitled for the same travelling allowances as permissible to that of an Assistant Grade-III in Public Works Department.

(3) Selected person working on contract shall not be paid remuneration for such days for which he/she remains absent from duty.

(4) The Contract Agreement shall be filled up and shall be duly signed by the head of the department and selected person and shall be kept in the official record.

5. **Mode of Selection.**—(1) **Post.**—The number of posts shall be the same as specified in the schedule attached to these rules.

(2) **Selection and Appointment.**—All selections on the post from serial number 1 to 7, as specified in the schedule, shall be made from the select list made by a committee constituted by the department. The services of the persons working on contract specified at serial number 8 of the schedule, shall be done by outsourcing processing.

(3) **Age Limit.**—Maximum and minimum age limit for contract selection shall be computed on the 1st day of January of that year in which the contract selection is to be made.

(4) **Selection of Retired Government Officers / Employees.**—Retired Government Officers / Employees shall also be eligible for the selection on the contract basis in accordance with the directions issued by the Government in this behalf, from time to time, upto the age of 63 years.

(5) **Minimum Educational Qualification and Eligibility.**—The minimum educational qualification and eligibility of the person shall be such as specified in the schedule attached to these rules.

(6) **Reservation.**—Provisions of reservation issued by the Government from time to time for Selection shall be applicable for these services.

(7) **Advertisement.**—The posts shall be advertised in at least two State and two National level newspapers and shall also be made available on the website of the Department.

6. **The Period of Contract Service.**—The contract selection of the person shall primarily be valid for two years which may be extended further by one year on the basis of their performance and work exigencies. As a result of enhancement of the contract period, the contract remuneration of the person working on contract may be increased up to maximum of ten percent.

7. **Discipline and Control during Contract Period.**—(1) The person working on contract under these rules shall keep good conduct during the performance of his duty.

(2) The person working on contract shall have to execute guarantee/bond for recovery from his contract remuneration for any loss incurred to the Government during his period of work or any minor penalty imposed upon him.

8. **Action against any person involved in criminal activities or misconducts.**—If a selected person working on contract found involved in any criminal activity or commits any misconduct under rule 7, after giving him reasonable opportunity of being heard, his selection may be cancelled.

9. **Controlling Authority.**—Selected person working on contract basis shall be under the administrative control of the Engineer-in-Chief or any officer authorized by him.

10. **Other conditions.**—(1) Selected person shall execute an agreement in prescribed format on non-judicial stamp paper worth Rupees 100/- He/she shall begin his/her contract service from the date of taking charge of his duties on the place of his posting.

(2) It shall be compulsory for the selected person, who has been issued a selection order to take charge of his duties on the place of his posting within fifteen days from the date of issue of selection order. In case, if the charge is not taken by the person within the aforesaid period, the contract selection shall automatically stand cancelled. Information of assumption of duties by the person on contract shall be given to the Engineer-in-Chief.

(3) Every person working on contract shall be entitled for maximum twenty days of casual leave in a calendar year and public holidays as declared by the Government.

(4) If any person selected and working on contract remains absent from his duties without any specific reason or without any information for a period of more than fifteen days, his/her contract service shall be deemed to be automatically terminated from the date of his absence in the office.

(5) Selected person working on contract shall not be entitled for any pension benefits for the period of his/her contract services. He/she shall not be paid any bonus for such contract period.

(6) Selected person working on contract shall not be entitled for regularization in the Government service.

(7) Contract selection may be cancelled at any time by either party by giving one month's notice or one month's contract remuneration in lieu thereof.

(8) All other conditions shall be, such as specified in the selection order.

11. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of any provision of these rules, the same shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रप्रकाश अग्रवाल, सचिव.

SCHEDULE

GOVERNMENT OF M. P. PUBLIC WORKS DEPARTMENT PARTICULARS OF THE POSTS TO BE FILLED ON CONTRACT BASIS

| S. No. | Designation | Monthly Contract remunerations (In Rs.) | No. of posts | Minimum Educational Qualification and Eligibility | Minimum age | Maximum age | Mode of Selection |
|--------|-----------------------------|---|--------------|---|-------------|-------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Senior Consulting Architect | As per sanction in consultation with Finance Department | 2 | Graduate degree in Architecture from any recognized University and valid registration under the Architects Act 1972 with experience of 6 years as an Architect and must have ability to make two and three dimensional design and drawing on computer software. | 30 | 60 | By a selection committee constituted by the Department. |
| 2 | Consulting Architect | As per sanction in consultation with Finance Department | 6 | Graduate degree in Architecture from any recognized University and valid registration under the Architects Act 1972 with experience of 2 years as an Architect and must have ability to make two and three dimensional design and drawing on computer software. | 25 | 60 | —do— |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|-----|---|---|-----|---|-----|-----|---|
| 3 | Senior Structural Engineer | As per sanction in consultation with Finance Department | 2 | Master of Engineering/ Masters Degree in technology (Structures) from any recognized University and having experience of 6 years as Structural Designer, using Computer Software Staad, AutoCAD, etc. | 30 | 60 | By a selection committee constituted by the Department. |
| 4 | Structural Engineer | As per sanction in consultation with Finance Department | 4 | Master of Engineering/ Masters Degree in technology (Structures) from any recognized University and having experience of 2 years as Structural Designer, using Computer Software Staad, AutoCAD, etc. | 25 | 60 | —do— |
| 5 | Senior Quantity Surveyor | As per sanction in consultation with Finance Department | 2 | B.E. (Civil) Equivalent Examination from any recognized University and 6 years experience of quantity survey and estimation through Software on Computer. | 30 | 50 | —do— |
| 6 | Quantity Surveyor | As per sanction in consultation with Finance Department | 4 | B.E. (Civil) Equivalent Examination from any recognized University and 2 years experience of quantity survey and estimation through Software on Computer. | 25 | 40 | —do— |
| 7 | Programmer | As per sanction in consultation with Finance Department | 1 | Masters Degree in Computer Application/Bachelor of Engineering in Computer Science/ information technology from any recognized University and 3 years experience of Computer Programming. | 25 | 40 | —do— |
| 8 | Technical Assistant/ Computer Operator. | As per sanction in consultation with Finance Department | 76 | Bachelor of Computer Application from any recognized University and 3 years experience to Computer application. | 25 | 40 | By out-sourcing through service provider. |

Note.—(1) Retired Officers/employees of the State Government as specified in serial number 1 to 5 of column (2) of this schedule upto age of 63 years may also be considered for selections on contract on basis of their fitness and suitability. However their services shall stand terminated on attaining the age of 65 years.

- (2) For the purpose of determining fixed contract remuneration of retired officers/employees selected on contract service, their pension shall be deducted from the contract remunerations as mentioned in the Schedule against the post applied. No dearness allowance or any other allowance shall be payable to the contract employee on the amount of contract. The Pension and other relief shall be admissible separately.

(On Stamp paper of Rs. 100/-)

CONTRACT AGREEMENT

(For Selection on Contract remuneration in P. W. D.)

First Party : The Engineer-in-Chief Public Works Department, Madhya Pradesh who shall be the Selection Authority (hereinafter referred to as the First Party in this Deed of Contract).

Second Party : Shri/Smt./Ku.
(Selected Person) : S/o / W/o/ D/o
Aged years
R/o

(Hereinafter referred to as the Second Party in this Deed of Contract)

The above parties are agreed upon the following terms and conditions :—

1. That the selection of the Second Party is being made on the fixed remunerations on the contract post of sanctioned in the Public Works Department, Madhya Pradesh which shall be valid for fixed period of two years from the date of assumption of duty dated The service shall be deemed to cease after the expiry of two years from the date of assumption of duty. On completion of the fixed service period, the second party shall not claim for regularization of his service. In such a situation no dispute or claim related with this agreement by the Second Party shall be accepted/entertained.
2. That, the Second Party shall not be treated as Government Servant.
3. That, the second Party shall neither be entitled for regularization or regular pay-scale, nor he/she shall be entitled for such claim in this regard.
4. That, Second Party shall not be be entitled to any kind of leave besides Casual leave of 20 days and public holidays.
5. That, the travelling allowance as per the Government rules shall be payable to the Second Party for the Government work. Besides the said allowance, no benefit of any kind, similar to that of the Officers/Employees of the Government of Madhya Pradesh, shall be permissible nor shall any other allowance be payable, consent of which is hereby given by the Second Party through his signature on this contract.
6. That, in case of serious complaint against the Second Party or if the candidate is found to have indulged in unwanted or political activities or commits grave irregularity at work, the First Party shall have the right to terminate his/her service at any time. Hence, in case the aforesaid allegations are proved, the First Party shall have the right to terminate the service of the Second Party without any notice regarding which the Second Party shall have no claim.
7. That, if during the contract service, the Second Party causes grievous injury to anybody or if himself suffers any injury or suffers any physical disability or commits suicide or dies then in such a situation

no claim of any kind by the Second Party or from his family member on his behalf, shall be acceptable. Under the condition contrary to Contract Service Rules no selection on contract service, on compassionate grounds etc. shall be made for any family member of the person or candidate for which the Second Party shall have no claim.

8. That, if the Second Party wants to resign from the service before expiry of the said two year service, in such a situation the Second Party shall have to give prior notice of one month to the Selection Authority otherwise shall have to obtain receipt by depositing lump sum remuneration of one month and No-dues Certificate from the First Party.
9. That, the services of Second Party may be terminated without prior notice, any time, if not found unsatisfactory or for other reasons rendering himself to be unfit for service. In such case the Second Party shall have no claim.
10. That, Second Party working on contract shall have to execute guarantee/bond for recovery from his contract remuneration for any loss incurred to the First Party during this period of work.
11. That, if any fact remains left out of this agreement for contract service or added afterwards by the First Party due to any amended or modified rules of Government of Madhya Pradesh, then in such a situation a supplementary contract shall be executed which shall be acceptable to the Second Party and shall be binding on the Second Party to sign it.

I have carefully gone through the service conditions of above mentioned contract. Hence, I have executed this contract on this day of without any fear or pressure in the presence of two witnesses so that it can be referred to as and when required .

Signature witnesses :—

1. Signature

Name

Signature.

Address.

(First Party)

.

2. Signature

Name

Signature.

Address.

(Second Party)

.